परिचय

1.1 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 अप्रैल 2018 की पहली द्वि-मासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में घोषणा की थी कि भारत में विभिन्न प्रकार के विदेशी निवेश की मौजूदा रिपोर्टिंग संरचना को एकीकृत करने के उद्देश्य से यह सभी मौजूदा रिपोर्टों को शामिल करने के लिए एकल मास्टर फॉर्म (एसएमएफ) लागू करेगा।

1.2 इस घोषणा को लागू करने के लिए रिज़र्व बैंक एक ऑनलाइन आवेदन, फर्म (विदेशी निवेश रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली) शुरू कर रहा है, जो एसएमएफ के लिए उपलब्ध कराएगी। फर्मों को दो चरणों में ऑनलाइन बनाया जाएगा। प्रथम चरण में प्रथम मॉड्यूल अर्थात संस्था मास्टर ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में अनुदेश ए के माध्यम से पहले ही जारी किए जा चुके हैं। पी. घात। दिनांक 07 जून 2018 की श्रृंखला परिपत्र सं.30।

1.3 दूसरे चरण में 9 रिपोर्टों सहित दूसरा मॉड्यूल 01 सितंबर 2018. से उपलब्ध कराया जाएगा। एसएमएफ के कार्यान्वयन के साथ, वर्तमान में दो चरणों में एफडीआई की रिपोर्टिंग यथा- एआरएफ और एफसी-जीपीआर को एकल संशोधित एफसी-जीपीआर में विलय किया जाएगा। एसएमएफ फॉर्म डीआई के माध्यम से अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश की रिपोर्टिंग और फॉर्म आईएनवीआई के माध्यम से निवेश माध्यमों में अंतर्वाहों की रिपोर्टिंग भी प्रस्तुत करता है। इसके अलावा, एफसी-टीआरएस, एलएलपी-I, एलएलपी-ii, ईएसओपी, डीआरआर और सीएन में रिपोर्टिंग भी केवल एसएमएफ में की

जाएगी। एसएमएफ की अंतिम संरचना और उसके परिचालनगत अनुदेश फेमा, 1999 के तहत रिपोर्टिंग पर मास्टर निदेश में उपलब्ध कराए जाएंगे।

1.4 पहला मॉड्यूल जनता के लिए जून 28 (1:00 बजे अपराह्न) और 12 जुलाई 2018. के बीच डेटा प्रविष्टि के लिए उपलब्ध होगा। इस तारीख को 20 जुलाई 2018. तक बढ़ाया गया था। यह भारतीय संस्थाओं (जैसा कि भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2017 दिनांक 07 नवंबर 2017 को और समय-समय पर यथासंशोधित) के लिए अपना वर्तमान विदेशी निवेश (अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित) डाटा दर्ज करने के लिए एक इंटरफेस प्रदान करेगा। संस्थाएं प्राप्त सभी विदेशी निवेशों के संबंध में आंकड़े उपलब्ध कराएंगी, चाहे यह तथ्य कि रिज़र्व बैंक को इसके लिए विनियामक रिपोर्टिंग की गई हो या नहीं और क्या इसे स्वीकार किया गया है या नहीं।

1.5 इन अनुदेशों का अनुपालन न करने वाली भारतीय संस्थाएं विदेशी निवेश (अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित) प्राप्त नहीं कर पा सकती हैं और उन्हें विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुपालन में अननुपालन के रूप में माना जाएगा और फेमा या उसके तहत बनाए गए विनियमों में यथावत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी माना जाएगा।

1.6 जहां संस्थाएं संस्था मास्टर के लिए पंजीकरण करने में सक्षम नहीं हैं, वे 01 सितंबर 2018. से ऐसा कर सकते हैं। तथापि, वे प्राधिकार पत्र के साथ समय-सीमा के भीतर पंजीकरण न करने के कारण प्रस्तुत कर सकते हैं।

संस्था मास्टर के लिए उपयोगकर्ता पुस्तिका

1. इकाई कौन है?

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 1 (4) के अर्थ के अंतर्गत कंपनी
- सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत पंजीकृत एक सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी)
- एक स्टार्टअप जो औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 17 फरवरी 2016 की अधिसूचना सं.जीएसआर 180(ई) में निर्धारित शर्तों का अनुपालन करता है

2. प्रक्रिया प्रवाह

2.1 संस्था उपयोगकर्ता पंजीकरण और संस्था मास्टर का योजनाबद्ध प्रतिनिधित्व

3. संस्था मास्टर के लिए प्रक्रिया प्रवाह

3.1 संस्था प्रयोक्ता

- संस्था उपयोगकर्ता संस्था (कंपनी/एलएलपी/स्टार्टअप) द्वारा संस्था मास्टर ऑफ फर्म्स एप्लिकेशन में एक संस्था को पंजीकृत करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति है।
- संस्था उपयोगकर्ता एकल व्यक्ति होगा जो संस्था मास्टर में किसी संस्था के विदेशी निवेश विवरण को जोड़ने/अद्यतन करने के लिए प्राधिकृत होगा और वह दर्ज किए गए डेटा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।
- एक इकाई के पास केवल एक इकाई का प्रयोगकर्ता हो सकता है। यदि संस्था संस्था के उपयोगकर्ता को बदलना चाहती है तो वह आरबीआई हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकती है, जिसका विवरण "हमसे संपर्क करें" के अंतर्गत उपलब्ध है"।
- एक व्यक्ति एक से अधिक संस्था के लिए एक इकाई प्रयोगकर्ता भी हो सकता है। तथापि, व्यक्ति को इसके लिए अलग पंजीकरण प्राप्त करना होगा जैसे पंजीकरण संस्था विशिष्ट है।

4. किसी संस्था के उपयोगकर्ता के लिए पंजीकरण

4.1 पूर्व-आवश्यकताएं

- प्राधिकरण पत्र: संस्था पहचान किए गए कार्मिक को अनुबंध पर दिए गए प्रारूप में इकाई के लिए संस्था के लिए एक इकाई उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकृत करने के लिए प्राधिकृत करने वाला प्राधिकरण पत्र जारी कर सकती है।
- संस्था प्रयोक्ता संस्था में विदेशी निवेश के सभी विवरण तैयार रख सकता है।

4.2 पंजीकरण प्रक्रिया

- आवेदन का एकसमान संसाधन शोधक (यूआरएल) https://firms.rbi.org.in है
- संस्था के उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकृत करने के लिए व्यक्तिइंटरनेट पर उपर्युक्त यूआरएल का उपयोग करके फर्म आवेदन के लॉगिन पृष्ठ को पहुँच सकता है।

4.3 किसी संस्था के उपयोगकर्ता को पंजीकृत करने के लिए उदारीकरण पृष्ठ

(नोट: यदि कोई कंपनी जिसने इकाई मास्टर बनाया है, ऐसे सभी शेयर जो संस्था मास्टर में रिपोर्ट नहीं किए गए हैं और ई-बीज पर रिपोर्ट किए गए हैं, तो कंपनी को 'कंपनी/एलएलपी में विदेशी निवेश' और 'विदेशी निवेश जानकारी' में संस्था मास्टर को अपडेट करना होगा')

5.4 घोषणा

चरण 8: सभी मुद्दे/हस्तांतरण जोड़े जाने के बाद, उपयोगकर्ता को संस्था मास्टर प्रस्तुत करने को सक्षम करने के लिए घोषणा जांच बॉक्स पर क्लिक करना होगा।

5.5 प्रस्तुत करना

चरण 9: घोषणा की जांच करने के बाद ही संस्था उपयोगकर्ता वविरण प्रस्तुत कर सकता है।